फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

जोगाराम वगैरह बनाम ओटाराम वगैरह

किस्म मुकदमा .....225 .आर.टी.एक्ट. राजस्व अपील संख्या.....40.....सन 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
13.06.2023	न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली मे पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने के फलस्वरूप उक्त अपील आज दिनांक को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष पेश हुई। यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 159/2021 बउनवान मूर्ति श्री ठाकुर मंदिर गोपाल द्वारा नालिग जरिये पुजारी राजुदास बनाम ओटाराम वगैरा मे पारित आदेश दिनांक 06.09.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रकरण मे अपीलांट अधिवक्ता द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी मौजा निमाज के खसरा नंबर 430, 431, 432, 433, 435 कुल खसरा नंबर 05 रकबा 55.02 हैक्टेर के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। वादग्रस्त आराजी कभी भी डोली	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

के रूप मे दर्ज नहीं हुई एवं पूर्व मे उक्त आराजी के संबध मे वादी के भाई मंदिर श्री गोपाल जी महाराज पुजारी दामोदर द्वारा वाद पेश किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। वादग्रस्त आराजी पर मौके पर रहवासी मकान बने हुए है। वादग्रस्त आराजी मे से कुछ आराजी आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना रेकर्डेड खातेदारो के विरूद्ध जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जैर अपील आदेश के कारण अपीलांट अपनी खातेदारी आराजी का उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है। जिससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति हो रही है। अत जैर अपील आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की प्रकरण मे एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण मे अपीलांट अधिवक्ता द्वारा उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील अंतरिम व्यादेश दिनांक 06.09.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी से संबधित मूल अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र आदिनांक तक विचाराधीन है एवं उक्त प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत आगामी पेशी दिनांक 06.07.23 नियत है। अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष उठाये गये समस्त उज्र उक्त प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत उठाने हेतु स्वतंत्र है। ऐसी परिस्थितियो मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील अंतरिम व्यादेश के अन्तर्गत हाजा न्यायालय द्वारा प्रकरण के इस स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। तद्नुसार उपखंड अधिकारी जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय में विचाराधीन राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 159/2021 बउनवान मूर्ति श्री ठाकुर मंदिर गोपाल द्वारा नालिग जरिये पुजारी राजुदास बनाम ओटाराम वगैरा के अन्तर्गत उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए 01 माह के भीतर निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

13.06.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली